फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रूपा | **विपक्षी : श्री चुना**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 74/24**

जीसीएमएस : 2024/257

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। चूंकि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र में उभय पक्ष को मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने तक पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, जिससे उक्त प्रकरण में बंटवाडा होने तक मौके की यथास्थिति बनी रहे, ताकि बंटवाडे के दौरान किसी प्रकार की पैचिदगीया उत्पन्न ना हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 का आंशिक स्वीकार कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 120 पर दर्ज आराजी नम्बर 292, 358, 375, 376, 492 किता 5 कुल रकबा 0.9468 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा पूर्व में जारी रिकार्ड की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested